

प्रेस नोट

04.11.2021

30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार—

आज दिनांक 04.11.2021 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान इब्राहिम चक के पास से इन्द्रजीत यादव पुत्र जगपत निवासी मालचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से एक जरिकेन में 30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 04.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अलतमश, मो0 अरसद, मो0 तारिक, मो0 इश्लाम निवासीगण हमीदपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभिमन्यू यादव, रामप्रवेश, प्रेमचन्द्र निवासीगण कुतुबपुर, पूनम चौहान, प्रमिला चौहान, रामबचन चौहान निवासीगण सूरहूरपुर, कमरुजमा, अब्दुल रमजा, अब्दुल तलहा, मु0 कैफ निवासीगण कस्बा मुहम्मदाबाद, रोहित निवासी सैदपुर, राजेश प्रजापति निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा प्रेमचन्द्र पटेल निवासी आदेडीह थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।